

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 566 / 14

संस्थापन दिनांक:-01 / 09 / 14

फाईलिंग नं. 233504001022014

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रामजी पिता सावन्या पवार
उम्र 35 वर्ष, निवासी सोनाली बुण्डाला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324(दो काउंट में) भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.07.2014 को समय 09:30 बजे या उसके लगभग अपने घर के सामने सोनाली बुण्डाला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी विवेक और फूलवारी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.07.2014 को रात करीब 09:30 बजे उसके घर वापस जा रहा था जैसे ही वह रामजी पवार के घर के सामने से निकल रहा था तभी अभियुक्त ने शराब पीकर पुरानी रंजिश पर से उसके पिता फूलवारी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ में रखे बसूले से मारा जो उसके माथे पर चोट लगी। उसके पिता फूलवारी उसे बचाने आये तो अभियुक्त ने उसे दाहिने हाथ एवं बांये हाथ की अंगुठी पर दांत से काटा। इसके बाद अभियुक्त ने उसके पिता से झूमा झटकी कर उनके दाहिने हाथ की बड़ी अंगुठी पर दांत से काटा। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 549 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरुद्ध लगे धारा 324(दो काउंट में) भा०दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.07.2014 को समय 09:30 बजे या उसके लगभग अपने घर के सामने सोनाली बुण्डाला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी विवेक और फूलवारी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

II. विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार II

6 विवेक (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दो वर्ष पुरानी सोनाली बुण्डाला स्थित अभियुक्त के घर के सामने की रात्रि 9 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर जा रहा था तभी उसे अभियुक्त उसके घर के सामने मिला और उसके पिता फूलवारी को गंदी गंदी गाली देने लगा जिस पर उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त ने उसके एवं उसके पिता के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाना आमला में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था।

7 फूलवारी (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह अपने घर जा रहा था तभी अभियुक्त ने उसके घर के सामने उसे गंदी गंदी गाली दी और उसके द्वारा गाली देलने से मना करने पर अभियुक्त ने उसके और उसके लड़के के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी।

8 विवेक (अ.सा.-1) एवं फूलवारी (अ.सा.-2) ने अभियोजन की घटना का संपूर्ण समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर इन साक्षियों ने इस बात को गलत बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उन्हें दांत से काटा था।

9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी एवं उसके पिता के साथ गंदी गंदी गाली देकर हाथ थप्पड़ से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा दांत से काटकर फरियादी एवं आहत को चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 324(दो काउंट में) भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी विवेक एवं आहत फूलवारी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त रामजी को धारा 324(दो काउंट में) भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)